

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल
jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10992 / 140

दिनांक :- 11.04.19

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री शगुप्ता बानो [लिंक न. 10992] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, रामगढ़, अलवर - [17359] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

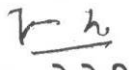
दिनांक 01/05/2018 से 10/05/2018 तक 10 दिवस (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)

दिनांक 04/10/2018 से 05/12/2018 तक 63 दिवस

दिनांक 17/12/2018 से 30/12/2018 तक 14 दिवस (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)

कुल 87 दिवस

उक्त कुल 87 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री शगुप्ता बानो की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10992 / 140

दिनांक :- 11.04.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, रामगढ़, अलवर
2. कोषाधिकारी अलवर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री शगुप्ता बानो [10992] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, रामगढ़, अलवर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)